GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

Sub: Schedule of Answers to Parliament Questions

As per the guidelines issued by the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats (LSS/RSS), final Answers to Starred and Unstarred Questions, duly approved by the Hon'ble Minister of Railways are required to be furnished to LSS/RSS as per the following schedule:

Lok Sabha Questions (to be replied on Wednesday) – Answers to be furnished by 1500 hrs on Tuesday Rajya Sabha Questions (to be replied on Friday) – Answers to be furnished by 1700 hrs on Thursday

2. In order to adhere to the above timeline, schedule for submission of Parliament Question files (both Starred and Unstarred) to Hon'ble MR is as follows:

Question	Receipt of	Files to be	Briefing of Questions
Day	Provisionally	submitted to	(as decided by O/o
	Admitted Questions	Hon'ble MR by	Hon'ble MR)
Wednesday	Previous Wednesday	Friday (1730 hrs)	Saturday 1000 hrs
(Lok Sabha)			onwards
Friday	Previous Friday	Monday (1730 hrs)	Tuesday 1000 hrs onwards
(Rajya Sabha)	2		100

- 3. The office of Hon'ble MR has further advised that the following guidelines should be strictly complied with:
- (a) If a file is submitted beyond the time prescribed above, it will be the responsibility of the concerned Directorate to get the approval of Hon'ble MR.
- (b) In respect of the Starred Questions, Note for Supplementaries in the prescribed format should be invariably placed on file along with the draft reply to the Question.
- (c) In respect of Starred Questions concerning Public Sector Undertakings (PSUs) under the Ministry of Railways, the concerned Chairman & Managing Director along with the Board Member, who is also the Administrative Secretary for the said PSU, should invariably be present during the Briefing conducted by Hon'ble MR.
- 4. Brief guidelines for processing of Parliament Questions are available on the railnet at the link: http://10.210.3.84/secretary/Parliament/cir index.htm

- 5. The draft replies put up to Hon'ble MR to be made in the following format:
- (i) Font/Size: Arial/12
- (ii) Line Spacing: 1.5
- (iii) Except for very short answers, the format of answers should be: A Statement is laid on the Table of the House.
- (iv) Factual data must be double checked before draft reply is put up.
- (v) Short paragraphs should be used in the answer to make it more readable. There should not be any spelling/grammatical error in the answer.

(Ashutosh Garg)
Dy. Secretary (Parl.)

No. 2025/Parl/13/COSH New Delhi, dated: 29.01.2025

- (i) All Officers & Branches in Ministry of Railways at Rail Bhawan, New Delhi/ COFMOW Building, Tilak Bridge/ RPSF office, Dayabasti, Delhi.
- (ii) CMDs of Braithwaite & Co. Ltd., CONCOR, CRIS, DFCCIL, HMRDCL, IRCON, IRCTC, IRFC, IRWO, KMRCL, KRCL, MRVC, NHRCL, RAIL-TEL, RITES, RLDA & RVNL.

Copy to:

- 1. CRB & CEO, M(Fin), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary and ED(CC).
- 2. Adv/MR, OSD/MR, OSD(Co-ord)/MR, EDPG/MR, PS/MR, Addl PS/MR, EDPG/MoSR(R), PS/MoSR(S) & JDPG/MoSR(S).
- 3. AM/HR and Director (OL).

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

विषयः संसदीय प्रश्नों के उत्तर की समय अनुसूची

लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माननीय रेल मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित अंतिम रूप से तैयार उत्तर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों को निम्न कार्यसूची के अन्सार प्रस्त्त की जानी है :

लोक सभा प्रश्न (बुधवार के लिए) – उत्तर मंगलवार को 1500 बजे तक प्रस्त्त किए जाने हैं राज्य सभा प्रश्न (शुक्रवार के लिए) – उत्तर बृहस्पतिवार को 1700 बजे तक प्रस्तुत किए जाने हैं

उपर्युक्त समय-सीमा का पालन करने के लिए, माननीय रेल मंत्री को संसदीय प्रश्नों की फाइलें (तारांकित और अतारांकित दोनों) प्रस्तुत करने की समय अनुसूची निम्नानुसार है:

प्रश्न	अनंतिम रूप र	माननीय रेल मंत्री को फाइलें	प्रश्नों के लिए ब्रीफिंग
दिवस	स्वीकृत प्रश्नों की	प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा	(माननीय रेल मंत्री के
	प्राप्ति		निर्देशानुसार)
बुधवार (लोक सभा)	पिछला बुधवार	शुक्रवार (1730 बजे)	शनिवार 1000 बजे से
शुक्रवार (राज्य सभा)	पिछला शुक्रवार	सोमवार (1730 बजे)	मंगलवार 1000 बजे से

- माननीय रेल मंत्री कार्यालय ने आगे कहा है कि निम्नलिखित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए: (i) यदि फाइल ऊपर निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत की जाएगी तो माननीय रेल मंत्री से उसका अन्मोदन लेने का दायित्व संबंधित निदेशालय का होगा।
- (ii) तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में, पूरक प्रश्नों के लिए नोट को निर्धारित प्रारूप में प्रश्नों के उत्तर के मसौदे सहित अनिवार्य रूप से फाइल में रखा जाना चाहिए।
- (iii) रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में, बोर्ड सदस्य जो उक्त सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासकीय सचिव भी होते है, सहित संबंधित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को माननीय रेल मंत्री द्वारा की जा रही ब्रीफिंग के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए।
- संसदीय प्रश्नों की प्रक्रिया के लिए संक्षिप्त दिशानिर्देश रेलनेट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं: 4. http://10.210.3.84/secretary/Parliament/cir index.htm

- उत्तर के मसौदे को माननीय रेल मंत्री को निम्निलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
- (i) फॉन्ट/साईज-एरियल/12
- (ii) लाईन स्पेसिंग- 1.5
- (iii)अति संक्षिप्त उत्तरों को छोडकर, उत्तर "विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है" प्रारुप में होना चाहिए।
- (iv) उत्तर के मसौदे को अग्रेषित करने से पूर्व तथ्यातमक आकड़ों की दोहरी जाँच की जानी चाहिए।
- (v) उत्तर को अधिक पठनीय बनाने के लिए लघु पैराग्राफ का उपयोग किया जाना चाहिए। उत्तर में कोई वर्तनी/ट्याकरण संबंधी त्रुटि नहीं होनी चाहिए।

(आशुतोष गर्ग)

उप सचिव (संसद)

संख्या-2025/पार्ल/13/सीओएसएच नई दिल्ली, दिनांक : १९ .01.2025

रेल मंत्रालय के रेल भवन, नई दिल्ली/ कॉफ्मो बिल्डिंग, तिलक ब्रिज/ आर.पी.एस.एफ. कार्यालय, दयाबस्ती, दिल्ली के सभी अधिकारी एवं शाखाएँ।